रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 7, 2003/कार्तिक 16, 1925
No. 181] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 2003/KARTIKA 16, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 4 नवम्बर, 2003

सं. टीएएमपी/54/2003-पीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 49 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, भूखण्ड के किराए-भाड़े और उपकरणों के भाड़ा प्रभारों को, दरमान में, शासित करने वाली शर्तों एवं निबन्धनों को युक्तिसंगत बनाने के लिए पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) के प्रस्ताव को संलग्न आदेशानुसार अनुमोदन प्रदान करता है।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी /54/2003-पीपीटी

पारादीप पत्तन न्यास **आवेदक**

आदेश

(अक्तूबर 2003 के 22 वें दिन पारित)

यह प्रकरण भूखण्ड के किराए-भाड़े और उपकरणों के भाड़ा प्रभारों को, दरमान में शासित करने वाली शर्तों और निबंधनों को युक्ति संगत बनाने के लिए पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है ।

2.1 पीपीटी ने, निम्नानुसार अपना दरमान संशोधित करने का प्रस्ताव किया है :-

(i). कार्गो प्रहस्तन उपकरणों के भाड़ा प्रभारों के मामले में, उपयोगकर्त्ताओं को न्यूनतम आधी पाली (अर्थात 4 घंटे) के लिए भाड़ा प्रभारों का भुगतान करना होता है, फिर चाहे उपकरणों का उपयोग केवल 1 घंटे के लिए ही क्यों न किया गया हो । यदि प्रचालनों के दौरान उपकरण में खराबी आ जाए तब भी उपयोगकर्त्ता से 4 घण्टों का न्यूनतम प्रभार तो लिया ही जाता है । इस विसंगति को दूर करने के लिए और प्रति घंटा आधार पर जलयान संबंधी प्रभारों को युक्तिसंगत बनाने के लिए 9 अप्रैल 2002 को अधिसूचित टीएएमपी के आदेश से इशारा लेते हुए इसने कार्गो प्रहस्तन उपकरणों के अर्धपाली आधार से प्रति घंटा आधार पर, उपयोग हेतु शर्तों और निबंधनों को युक्तिसंगत बनाने के लिए प्रस्ताव किया है । तदनुसार, धारा 4(ii) को निम्नलिखित धारे से बदला जाने का और धारा 4 (iii) को अनावश्यक होने के कारण हटा देने का प्रस्ताव है :-

> *"कार्गो प्रहस्तन उपकरणों के उपयोग के लिए न्यूनतम प्रभार प्रति घंटा आधार पर होंगे । उपकरण के उपयोग की कुल अवधि, जैसी लॉगबुक में दर्शायी जाएगी, उपकरण के उपयोग के लिए प्रभारों की गणना हेतु आधार होगी ।"*

(ii). इस समय, वर्तमान दरमान की धारा 4 (v) के अनुसार, निर्यातक / आयातक / जलयान के मालिक को, जैसा भी मामला हो, पत्तन न्यास के ईक्यू बंदरों पर आने वाले जलयानों के लिए, तटीय क्रेनों का उपयोग न करने की एवज में प्रति पाली रू. 1100/- का भुगतान करना होता है । पत्तन के उपयोगकर्त्ताओं ने इस प्रावधान को रोकने के लिए अभ्यावेदन दिया है क्योंकि उन्हें एक विशेष सुविधा का उपयोग न करने के लिए दण्ड राशि अदा

करने के लिए बाध्य किया जाता है । जलयान वाले पत्तन में उपलब्ध तटीय क्रेनों का उपयोग करने में कम रुचि लेते हैं क्योंकि आजकल जलयानों पर अधिक तेज साइकिल समय वाली उच्च क्षमता वाली क्रेने लगी होती हैं । वर्ष 2002-2003 में, तटीय क्रेनों के उपयोग न करने के लिए पत्तन न्यास की कुल आय 9.41 लाख रुपये थी । यह मानते हुए कि यह धारा तानाशाहीपूर्ण है और इसको जारी रखना पत्तन के सामान्य हित में नहीं होगा, इसने वर्तमान दरमान की धारा 4 (v) को हटाने का प्रस्ताव किया है ।

(iii). वर्तमान दरमान की धारा 3.3.2 के अनुसार पत्तन के उपयोगकर्त्ताओं से प्रति माह या उसके अंश के आधार पर ढके हुए या खुले स्थान / स्टेक यार्ड के लिए लाइसैंस शुल्क लिया जाता है अर्थात यदि स्थान किसी उपयोगकर्त्ता को पट्टे पर दे भी दिया गया हो या उपयोगकर्त्ता द्वारा वह माह के किसी भाग में खाली भी कर दिया गया हो तब भी उपयोगकर्त्ता को पूरे माह का लाइसैंस शुल्क अदा करना होगा । पत्तन उपयोगकर्त्ता उन दिनों के लिए भी लाइसैंस शुल्क की अदायगी के प्रति अपनी आपत्ति दर्ज करते आ रहे हैं जिन दिनो वह स्थान वास्तव में उनके कब्जे में था ही नहीं । विशाखापत्तनम् पत्तन में लाइसैंस शुल्क पाक्षिक या उसके भाग के आधार पर लिया जाता है और हाल्दिया पत्तन में, लाइसैंस शुल्क वार्षिक / मासिक आधार पर लिया तो जाता है किन्तु पत्तन के उपयोगकर्त्ता अपने आधिपत्य के आरम्भिक और अन्तिम माह में केवल उतने दिनों के लिए ही लाइसैंस शुल्क का भुगतान करते हैं जितने दिन वह स्थान वास्तव में उनके अधिपत्य में रहा । इसको देखते हुए, भूखंड / स्टेक यार्ड / ढकी जगह के अधिपत्य के पहले और अन्तिम माह के सिवाय जिनका लाइसैंस शुल्क अधिपत्य के वास्तविक दिनों के आधार पर वसूल किया जाने का प्रस्ताव है । उद्देश्य के लिए एक माह का अर्थ 30 दिन होगा । जैसाकि एक वर्ष में इस वर्ग के अन्तर्गत बहुत कम मामले आते हैं, इस प्रस्तावित प्रावधान के वित्तीय प्रभाव नगण्य होंगे ।

2.2. प्रस्ताव को पीपीटी के न्यासी मंडल द्वारा 22 जुलाई 2003 को हुई बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया था ।

2.3. इस पृष्ठभूमि में, पीपीटी ने इस प्राधिकरण से प्रस्ताव को निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है :

(i) दरमान की धारा 4 (ii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए :

> "कार्गो प्रहस्तन उपकरणों का न्यूनतम प्रभार प्रति घंटा आधार पर होगा । उपकरणों के उपयोग की कुल अवधि, जैसीकि लॉग बुक में दिखाई जाए, उपकरणों के उपयोग के लिए प्रभारों की गणना का आधार होगी ।"

(ii). तटीय क्रेनों का उपयोग न करने के लिए प्रति पाली रु. 1100/- प्रभार लगाने वाली, दरमान की धारा 4(v) हटा दी जाए ।

(iii). दरमान में एक नई धारा 2.4 (xiii) निम्नानुसार सम्मिलित की जाए :-

> "पत्तन उपयोगकर्त्ताओं से भूखण्डों / स्टेक यार्डों / ढकी जगहों के लाइसैंस शुल्क की वसूली अधिपत्य / आबंटन के पहले और अन्तिम माह में अधिपत्य के वास्तविक दिनों के लिए समानुपातिक रूप से ।"

3. पीपीटी ने बाद में वर्तमान दरमान के प्रासंगिक सार भी, जिनमें संशोधन मांगा गया है, प्रस्तुत किया है । इसके साथ ही, उसके प्रस्ताव में से उठने वाले कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण भी दिया है । पीपीटी ने स्पष्ट किया है कि "हटाया जाना" धारा 4(i) में प्रस्तावित नहीं है (जैसाकि मूल प्रस्ताव में बताया गया है) बल्कि धारा 4(iii) में प्रस्तावित है और धारा 4(ii) को संशोधित प्रस्तावित धारा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

4. पीपीटी के प्रस्ताव की वर्तमान दरमान के संदर्भ में जांच पड़ताल की गई है और निम्नलिखित स्थिति उभरती है :

(i). पीपीटी ने उपयोगकर्त्ताओं प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों का सम्मान करते हुए और पत्तन के सामान्य हित में अपनी ओर से भूखंड के किराए-भाड़े और उपकरणों के भाड़ा प्रभारों को संचालित करने वाली कुछ वर्तमान शर्तों और निबंधनों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया है । इस तथ्य पर और इस बात पर भी कि इस प्रस्ताव के वित्तीय प्रभाव नगण्य होंगे, विधिवत विचार करते हुए इस मामले में सामान्य परामर्श की प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है और प्रस्ताव को तीव्रगामी अनुमोदन पर रखने का निर्णय लिया गया है ।

(ii). कार्गो प्रहस्तन उपकरणों के लिए भाड़ा प्रभारों के मामले में, पीपीटी ने कार्गो प्रहस्तन उपकरणों के उपयोग के लिए प्रति घंटा आधार पर न्यूनतम प्रभार लगाने का प्रस्वात किया है । वर्तमान दरमान के अनुसार, यदि उपकरण केवल एक घंटे के लिए ही उपयोग किया जाता है और यदि उपयोगकर्त्ता द्वारा मांगे गए उपकरण में प्रचालन के दौरान खराबी आ जाए तब भी उपयोगकर्त्ता द्वारा न्यूनतम प्रभारों के रूप में आधी पाली (अर्थात 4 घंटों) के लिए भाड़ा प्रभार का भुगतान किया जाता है । चूंकि प्रस्तावित संशोधन उपयोगकर्त्ताओं के लाभ में जान पड़ता है और प्रदत्त सेवाओं की सीमा तक ही प्रभार लेने के सिद्धांत का अनुसरण करता है, प्राधिकरण को पीपीटी द्वारा धारा 4(ii) को प्रस्तावित धारा से प्रतिस्थापित करने में कोई झिझक नहीं है ।

(iii). दरमान की धारा 4(iii) में प्रावधान है कि " 4 घंटों की आधा पाली के लिए दर ऊपर दिखाई गई पूरी पाली की दर की आधी होगी ।" यह धारा आधी पाली के लिए न्यूनतम प्रभार लगाने के प्रावधान से निर्धारित की गई है जिसे प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है । इस प्रकार धारा 4(iii) भी अनावश्यक हो जाती है और हटा दी गई है।

(iv). वर्तमान दरमान के अनुसार उपयोगकर्त्ताओं द्वारा तटीय क्रेनों के उपयोग न करने के लिए प्रति पाली रु. 1100/- की दर से प्रभार लगाए जाते हैं । पीपीटी ने पत्तन में ईक्यू बंदरों पर आने वाले जलयानों के लिए इस प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव किया है । हालांकि कुछ पत्तन न्यास उनके द्वारा सृजित सुविधाओं के लिए जब उपयोगकर्त्ता ऐसी परिसम्पत्तियों का उपयोग न करने का चयन करते हैं, प्रभार लगाते हैं तथापि, पीपीटी ने पत्तन के सामान्य हित में और उपयोगकर्त्ताओं के अनुरोध पर, इस मद में राजस्व आय को त्यागने का प्रस्ताव किया है । चूंकि इस धारा को हटा देने से पड़ने वाला वित्तीय प्रभाव नगण्य होगा, पीपीटी के वर्तमान दरमान में से धारा 4(v) को हटाया जाता है ।

(v). वर्तमान धारा के अनुसार, भूखण्डों / स्टेक यार्डो / ढके हुए स्थानों के लिए लाइसैंस शुल्क उपयोगकर्त्ताओं से प्रतिमाह या उसके भाग के आधार पर लिया जाता है । उपयोगकर्त्ताओं द्वारा उन दिनों के लिए भी जब उन्होंने कब्जा नहीं लिया हो (लाइसैंस शुल्क) अदा करने पर उनकी आपत्तियों को देखते हुए पीपीटी ने उपयोगकर्त्ताओं से, अधिपत्य के पहले और अन्तिम माह को छोड़कर, जिनके लिए लाइसैंस शुल्क अधिपत्य के वास्तविक दिनों के आधार पर लिया जाएगा, भूखण्डों / स्टेक यार्ड / ढके हुए स्थान का लाइसैंस शुल्क मासिक / वार्षिक आधार पर वसूल करने का प्रस्ताव किया है । बताया गया है कि इस प्रस्ताव का वित्तीय प्रभाव नगण्य होगा क्योंकि एक वर्ष में ऐसे मामले बहुत कम होते हैं जो इस वर्ग में आएंगे । ऐसे प्रभार लगाने के लिए आदर्शरूप में, एक माह में 30 सतत् दिन गिनना बेहतर रहेगा । तथापि पीपीटी बिल बनाने के उद्देश्य से कैलेंडर माह की गणना को ही जारी रखना चाहता है, अनुमानतः, इससे बिल प्रस्तुत के लिए प्रबोधन में सरलता होगी । जबकि कैलेन्डर माह का वर्तमान यूनिट पहले और अन्तिम माह में प्रस्तावित राहत के साथ जारी रह सकता है, पत्तन को अपने प्रशुल्क की अगली सामान्य समीक्षा में "लगातार 30 दिन के यूनिट (माह) में परिवर्तन करने की सलाह दी जाती है ।"

(vi). जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है, इस प्रस्ताव पर परामर्श नहीं लिया गया है क्योंकि प्रस्तावित संशोधन उपयोगकर्त्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए हैं । तथापि, यदि कोई उपयोगकर्त्ता संगठन संशोधनों के किसी प्रतिकूल प्रभाव को उद्धृत करना चाहता है या इस विषय में और अधिक सुधार के लिए कोई सुझाव देना चाहता है तो उसे वैसा करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है । प्राप्त (की जाने वाली) टिप्पणियों का विश्लेषण करने के बाद, यदि कोई हो, इस समय प्रस्तावित संशोधनों और अधिक सुधार के लिए लिया जा सके ।

5. परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों से और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर प्राधिकरण पीपीटी के दरमान में निम्नलिखित संशोधनों को अनुमोदन प्रदान करता है :-

(i). कार्गो प्रहस्तन उपकरणों के लिए भाड़ा प्रभारों से संबंधित धारा 4 के नोट (ii) को प्रतिस्थापित करने के लिए :-

"कार्गो प्रहस्तन उपकरणों के उपयोग के लिए न्यूनतम प्रभार प्रति घंटा आधार पर होगा । उपकरणों के उपयोग की कुल अवधि, जैसी लॉग बुक में दर्शाई जाएगी, उपकरणों के उपयोग के लिए प्रभारों की गणना का आधार होगी ।"

(ii). वर्तमान दरमान में, कार्गो प्रहस्तन उपकरण के भाड़ा प्रभारों से संबंधित धारा 4 के नोट (iii) और (v) को हटाना और अनुवर्ती नोटों को तदनुसार पुनः सख्या प्रदान करना ।

(iii) वर्तमान दरमान में लाइसैंस शुल्क से संबंधित धारा 2.4 में निम्नानुसार नोट (xiii) डालना :-

"भूखण्डों / स्टेक यार्डो / ढके हुए क्षेत्रों के लिए लाइसैंस शुल्क अधिपत्य / आबंटन के पहले और अन्तिम माह में वास्तविक अधिपत्य के दिनों की संख्या के अनुसार समानुपातिक रूप से वसूल किया जाएगा ।"

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2003-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION

Mumbai, the 4th November, 2003

No. TAMP/54/2003-PPT.—In exercise of the powers conferred under Sections 48 and 49 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the proposal of the Paradip Port Trust (PPT) for rationalisation of terms and conditions in the Scale of Rates governing plot rentals and equipment hire charges as in the Order appended hereto.